भारत सरकार
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
GOVERNMENT OF INDIA
NATIONAL COMMISSION FOR SCHEDULED TRIBES

File No. JKM/5/2017/STGJH/DEOTH/RU-III

छठा तल बी विंग लोकनायक भवन
खान मार्केट नई दिल्ली.110003
दिनांक: **18.09.2018**

सेवा में

1. सचिव,
   कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार,
   प्रथम तल, प्रोजेक्ट बिल्डिंग, धुर्वा,
   रांची–834004

2. कलेक्टर,
   सिमडेगा,
   झारखण्ड

विषयः नारायणा नर्सिंग कॉलेज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में पढ़ने वाले झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने बावत श्री जितेंद्र कुमार मुखी, महासचिव, एनओसी फाउन्डेशन, नई दिल्ली से प्राप्त संबंधित अभ्यावेदन पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर डॉ. नन्द कुमार साय, अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग द्वारा दिनांक 10.09.2018 को आयोग में ली गई बैठक का कार्यवृत्त इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किया जा रहा है।

अतः आपसे अनुरोध है कि मामले में अनुपालन रिपोर्ट आयोग को **01 माह के भीतर** भिजवाने का कष्ट करें ।

भवदीय,

(आर.के. दुबे)
सहायक निदेशक

प्रतिलिपि प्रेषितः

1. श्री जितेंद्र कुमार मुखी, महासचिव, एनओसी फाउन्डेशन, सनलाईट कॉलोनी–II, आश्रम नई दिल्ली
2. एनआईसी, वेबसाइट पर अपलोड करने के लिए

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. JKM/5/2017/STGJH/DEOTH/RU-III

नारायणा नर्सिंग कॉलेज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में पढ़ने वाले झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने बावत श्री जितेंद्र कुमार मुखी, महासचिव, एनओसी फाउन्डेशन, नई दिल्ली से प्राप्त संबंधित अभ्यावेदन पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

बैठक में उपस्थित अधिकारियों की सूची	:	संलग्नक 'क'
बैठक की तिथि	:	10.09.2018

नारायणा नर्सिंग कॉलेज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में पढ़ने वाले झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने बावत श्री जितेंद्र कुमार मुखी, महासचिव, एनओसी फाउन्डेशन, नई दिल्ली से आयोग को दिनांक 03.08.2017 को एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ जिस पर आयोग ने दिनांक 24.10.2017 को सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची एवं जिला कलेक्टर, सिमडेगा, झारखण्ड को तथ्यात्मक रिपोर्ट भेजने हेतु नोटिस जारी किया। उत्तर न आने पर दिनांक 02.02.2018 को इस संबंध में आयोग द्वारा स्मरण पत्र भी भेजा गया तथा उत्तर न आने पर माननीय अध्यक्ष ने दिनांक 10.09.2018 को बैठक आहूत की। सिटिंग नोटिस मिलने के बाद सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार, रांची एवं जिला कलेक्टर, सिमडेगा, झारखण्ड ने आयोग को विषय पर जानकारी भेजी।

बैठक के प्रारंभ में आवेदक के अपना पक्ष रखने का अवसर दिया गया जिन्होंने अवगत कराया कि नारायणा नर्सिंग कॉलेज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में पढ़ने वाले झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति नहीं मिल रही है जिससे उन्हें पढ़ाई–लिखाई में असुविधा हो रही है। कई प्रयास के बाद भी राज्य सरकार एवं जिला प्रशासन उनकी समस्या का समाधान नहीं कर रहे हैं। उन्होंने आयोग से सहायता करने का अनुरोध किया।

आयोग ने सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार से इस मामले में जानकारी चाही। उन्होंने अवगत कराया कि झारखण्ड सरकार द्वारा प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति की प्रक्रिया वर्ष 2014–15 से e-Kalyan Portal के माध्यम से संचालित की जा रही है। वर्तमान में इसके लिए अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ी जाति प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना नियमावली गठित है।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
Chairperson
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए प्रत्येक वर्ष निर्धारित अवधि में संस्थानों के निबंधन हेतु e-Kalyan Portal खोला जाता हे। संस्थानों द्वारा उपलब्ध कराए गए सक्षम स्तर से निबंधन एवं सक्षम संस्था से सम्बद्धता प्राप्त करने से संबंधित प्रमाण पत्रों की जांच के उपरांत आदिवासी कल्याण आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा योग्य संस्थानों का अनुमोदन किया जाता है। छात्रवृत्ति हेतु e-Kalyan Portal पर संस्थानों के अनुमोदन के पश्चात् छात्रों द्वारा सभी आवश्यक प्रमाण पत्रों को e-Kalyan Portal पर Upload करते हुए Online आवेदन किया जाता है। संबंधित संस्थानों द्वारा जांचोपरांत छात्रों का Online आवेदन e-Kalyan Portal पर अनुमोदित किया जाता है। संस्थानों से अनुमोदित Online आवेदन एवं प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित जिलों के जिला कल्याण पदाधिकारी द्वारा करते हुए पात्र छात्रों के बैंक खाते में DBT के माध्यम से भुगतान की कार्रवाई की जाती है।

सचिव, कल्याण विभाग ने यह भी अवगत कराया कि नारायणा नर्सिंग कॉलेज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश के जीएनएम बीएससी नर्सिंग 2015–2018 कोर्स में अध्ययन करने वाली छात्राओं के संबंध में तथ्य यह है कि उक्त कॉलेज द्वारा शैक्षणिक सत्र 2015–16 में e-Kalyan Portal पर निबंधन की अंतिम तिथि 31.08.2015 तक निबंधन नहीं कराया गया अतः यह संस्थान निबंधित नहीं है। इसलिए छात्रवृत्ति हेतु Online आवेदन पत्र e-Kalyan Portal पर उपलब्ध नहीं हैं। वित्त वर्ष 2015–16 में कल्याण विभाग द्वारा कुल 1,83,272 छात्रों को प्रवेशिकोत्तर छात्रवृत्ति दी गई है जिसमें अनुसूचित जनजाति के 55,961 छात्र हैं तथा सिमडेगा जिले के अनुसूचित जनजाति के 5,119 छात्र शामिल हैं। आवेदक के आवेदन में जिन 40 छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिलने का उल्लेख किया गया है, उनके संबंध में कोई विवरणी या उनके Online आवेदन की हार्ड कॉपी उपलब्ध नहीं कराई गई जिसके कारण कार्रवाई नहीं हो पा रही है। आवेदक एवं अधिकारियों के साथ चर्चा में आयोग को यह जानकारी भी प्राप्त हुई कि आंध्र प्रदेश में लगभग एक जैसे या मिलते–जुलते नाम वाले कई कॉलेज संचालित हैं और प्रवेश दिलाने के नाम पर दलाल भी सक्रिय हैं।

आवेदक श्री जितेंद्र कुमार मुखी ने यह प्रत्युत्तर दिया कि जिस कॉलेज का नाम उन्होंने आवेदन में दिया है, उसी कॉलेज में पढ़ने वाले झारखण्ड राज्य के अन्य जिलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है जबकि सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों को नहीं मिल पा रही है। हालांकि वे इस बात को स्पष्ट रूप से नहीं बता पाए कि राज्य के अन्य जिलों के जिन विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिली है वे मिलते–जुलते नाम वाले नर्सिंग कॉलेजों में अध्ययनरत तो नहीं हैं।

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

दोनों पक्षों को सुनने के बाद आयोग निम्नानुसार अनुशंसाएं करता है:–

1. सक्षम प्राधिकारी से अनुमति लेकर e-Kalyan Portal एक निश्चित अवधि के लिए खोला जाए ताकि वर्ष 2015–16 में निबंधन न कर सके कॉलेजों को निबंधन का अवसर प्राप्त हो सके जिससे वहां अध्ययनरत अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थियों को आवेदन करने पर छात्रवृत्ति प्राप्त हो सके।
2. आवेदक श्री जितेंद्र कुमार मुखी सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार को उन 40 विद्यार्थियों में से झारखण्ड राज्य के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति के Online आवेदन की हार्ड कॉपी उपलब्ध कराएं ताकि इस संबंध में आगे कार्रवाई की जा सके।
3. आवेदक श्री जितेंद्र कुमार मुखी समय लेकर सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार से उनके कार्यालय में यह जानकारी लेकर मिलें कि आवेदन में वर्णित नारायणा नर्सिंग कॉलेज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में अध्ययनरत राज्य के अन्य जिलों के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है किंतु सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों को ही प्राप्त नहीं हो पा रही है।
4. सचिव, कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार आयोग को यह जानकारी दें कि मिलते–जुलते नाम वाले किन नर्सिंग कॉलेजों का राज्य में निबंधन किया गया है और के किन पाठ्यक्रमों के लिए किया गया है।
5. उपरोक्त विषय में कल्याण विभाग, झारखण्ड सरकार एवं आवेदक 01 माह के भीतर आयोग को स्थिति रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

17.9.18

नन्द कुमार साय/Nand Kumar Sai
अध्यक्ष/Chairperson
राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग
National Commission for Scheduled Tribes
भारत सरकार/Govt. of India
नई दिल्ली/New Delhi

संलग्नक 'क'

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

File No. JKM/5/2017/STGJH/DEOTH/RU-III

नारायणा नर्सिंग कॉलेज, नेल्लोर, आंध्र प्रदेश में पढ़ने वाले झारखण्ड राज्य के सिमडेगा जिले के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति दिलाने बावत श्री जितेंद्र कुमार मुखी, महासचिव, एनओसी फाउन्डेशन, नई दिल्ली से प्राप्त संबंधित अभ्यावेदन पर श्री नन्द कुमार साय, माननीय अध्यक्ष द्वारा ली गई बैठक का कार्यवृत।

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग

1. श्री नन्द कुमार साय, अध्यक्ष
2. श्री राघव चंद्रा, सचिव
3. श्री शिशिर कुमार रथ, संयुक्त सचिव
4. श्री आर.के. दुबे, सहायक निदेशक

झारखण्ड सरकार के अधिकारी

1. सुश्री हिमानी पाण्डे, सचिव, कल्याण विभाग

कलेक्टर सिमडेगा, झारखण्ड

1. श्री गनौरी मोची, जिला कल्याण पदाधिकारी

आवेदक

श्री जितेंद्र कुमार मुखी, महासचिव, एनओसी फाउन्डेशन, नई दिल्ली